

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान

बनाम

प्रकरण संख्या

अन्तर्गत धारा.....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो ड पालन
<p>13⁰⁶/₂₃</p> <p>Not Paid</p>	<p>आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के लिये प्राथमिक सूत्र/वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 R.A. नोटिस करने पर पेशी में ली गई। वादी अधिवक्ता को खूना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र नोटिस करने पर वादी का वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय होकर गम्बूर से फस होकर दाखिल वफतर् हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर</p>	

